



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018

(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

अनुसूची I - फार्म एल
(विनियम 14(8) देखें)

Schedule I - Form L
(See Regulation 14(8))

पंजीकरण संख्या Registration No.: 607

1. मेसर्स एडिफाय इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. श्रेणी प्रत्यक्ष (जीवन और स्वास्थ्य)

दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

The Certificate of Registration of M/s. Edify Insurance Brokers Private Limited Category Direct (Life & General) Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

2. हैदराबाद में 08 दिन जुलाई (माह) दो हजार बीस को जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on 08th day of July Two Thousand Twenty

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 11.07.2020 से 10.07.2023 तक विधिमान्य होगा।

This Certificate of Registration shall be valid from 11.07.2020 to 10.07.2023

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।

This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars, & Directions issued by the Authority from time to time

स्थान Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date: 08.07.2020

आदेशानुसार

By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India